(64) (171)

निग0-4756/2018/शहडोल/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा म.प्र.

अधि0 श्री राजेन्द्र तिवारी
द्वारा पेश/03-8-18

20रु. COURT FEE Rs.20 भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES
विलोपित / विलोपित
20रु. COURT FEE Rs.20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

रामप्रसाद पिता कालूराम दर्जी उम्र 73 वर्ष निवासी ग्राम पोड़ीकला तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल म.प्र. ---- **निगरानीकर्ता / आवेदक**

बनाम

1. लालमन नामदेव पिता रामस्वरूप नामदेव उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम निपनियॉ
2. मोहन नामदेव पिता रामस्वरूप नामदेव उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम निपनियॉ
3. तेजभान नामदेव पिता रामस्वरूप नामदेव उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम निपनियॉ
4. मु. मंजी बेवा रामस्वरूप नामदेव उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम निपनियॉ सभी का थाना पपौंध तहसील ब्यौहारी जिला–शहडोल म.प्र. -----**गैर निगरानीकर्ता / अनावेदक**

निगरानी श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय
जयसिंहनगर जिला–शहडोल के न्यायालय में लंबित
राजस्व प्रकरण क्र. 62 अपील / अ–27 / 2017–18
आदेश दिनांक 15.06.2018 के विरूध्द
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

मान्यवर,

प्रकरण संक्षेप में यह है कि:–

यहकि:– ग्राम पोड़ी तहसील जयसिंहनगर में स्थित आराजी खसरा नं. 197 रकवा 0.356 हे. 198 रकवा 0.486 हे. 867 रकवा 1.103 हे. 1043 रकवा 0.138 हे. 1044 रकवा 0.073 हे. 1184 रकवा 0.186 हे. 1573 रकवा 0.529 हे. 1621 रकवा 0.486 हे. 1622 रकवा 0.040 हे. 1623 रकवा 0.040 हे. 1923 रकवा0.324 हे. कुल 11 कुल रकवा 3.961 हे. की भूमि निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानी कर्ता के पिता स्व. रामस्वरूप के नाम उक्त भूमियों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। इन भूमियों को बटवारा हेतु निगरानी कर्ता रामप्रसाद की ओर से श्रीमान् तहसीलदार महोदय जयसिंहनगर के न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया गया था। जिसका राजस्व प्र. क्र. 196 / अ–27 / 2008–09 है। उक्त आवेदन पत्र पर अनावेदक रामस्वरूप को नोटिस जारी की गई थी। और इश्तहार का प्रकाशन किया गया था। रामस्वरूप न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाव मय शपथ पत्र के पेश किया गया था। और निगरानीकर्ता का बटवारा आवेदन पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए पोड़ी की सम्पूर्ण भूमि को निगरानी कर्ता के नाम किये जाने की सहमति दिया था, तथा न्यायालय में अपना कथन सहमति का किया था। तत्पश्चात् हल्का पटवारी से मौके से कब्जे के अनुसार फर्द बटवारा पुल्ली मंगायी जाकर आदेश पारित किया गया था। और पोड़ी की समस्त भूमि को रामस्वरूप के कथन एवं

रामप्रसाद

(64)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 4756/2018/भू–रा0 जिला–शहडोल

रामप्रसाद दर्जी/लालमन नामदेव वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील जयसिंहनगर के प्रकरण क्रमांक 62/अपील/अ–27/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	